अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख आवेदक बिपिन नायक, पिता– पठानी नायक, निवासी ग्राम– छोटालुन्ती, पो०ओ०– अंधारी, थाना– कुमारडुँगी, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जो अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत 'गोंड' जाति के है, के द्वारा खाता संख्या– 134, प्लॉट संख्या– 1430, रकवा– 01 एकड़ 15 डिसमिल भूमि जो मौजा– छोटालुन्ती, थाना संख्या– 332, परगाना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, क्रेता बिनोद नायक, पिता– बिपिन नायक, ग्राम– छोटालुन्ती, पो०ओ०– अंधारी, थाना– कुमारडुँगी, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जाति 'गोंड' (अनुसूचित जनजाति) के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत बिक्री किये जाने की अनुमति की मांग को लेकर प्रारम्भ किया गया है। आवेदन के साथ क्रेता एवं विक्रेता का स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। विक्रेता बिपिन नायक का जाति प्रमाण पत्र संख्या– JHCST/2019/35566 दिनांक– 21.10.2019 एवं क्रेता बिनोद नायक को निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या– JHCC/2019/477302 दिनांक– 05.07.2019 है, जो अंचल अधिकारी, कुमारडुँगी द्वारा निर्गत है। विक्रेता बिपिन नायक को निर्गत निवासी प्रमाण पत्र संख्या– JHRC/2019/746635 दिनांक– 15.10.2019 एवं क्रेता बिनोद नायक को निर्गत निवासी प्रमाण पत्र संख्या– JHRC/2017/626143 दिनांक– 26.05.2017 है, जो अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर द्वारा निर्गत है। प्रमाण पत्र के अनुसर क्रेता एवं विक्रेता कुमारडुँगी अंचल के छोटालुन्ती मौजा के निवासी है, जो कुमारडुँगी थाना के अंतर्गत आता है तथा इनका जाति 'गोंड' है जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। अंचल अधिकारी, कुमारडुँगी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में उनके पत्रांक– 339 दिनांक– 26.02.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। अंचल अधिकारी, कुमारडुँगी का जाँच प्रतिवेदन एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा आवेदित भूमि विक्री करने की अनुशंसा की गयी है। अवेदित भूमि पंजी II में विक्रेता बिपिन नायक के नाम से नामान्तरण मुकदमा संख्या– 12/2019–20 दिनांक– 20.08.2019 द्वारा विक्रेता के नाम पर नामान्तरित है। दिनांक 26.09.2020 को क्रेता, विक्रेता एवं ग्रामीण मुण्डा की उपस्थिति में सुनवाई की गई है। ग्रामीण मुण्डा गब्रीएल बालमुचू द्वारा लिखित व्यान दिया गया है कि आवेदित भूमि आवेदक को दखल एवं हिस्सा में मिला हुआ है एवं विक्री करने के बाद विक्रेता के पास 5.00 (पाँच) एकड़ से अधिक भूमि शेष बच जाता है।

अंचल अधिकारी, कुमारडुँगी एवं ग्रामीण मुण्डा के द्वारा विक्री अनुमति की अनुशंसा की गई है। आम सूचना निर्गत किया गया था, जिसके उपरान्त कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अंचल अधिकारी, कुमारडुँगी के जाँच प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि विक्रेता द्वारा धारित कुल भूमि का रकवा 10 एकड़ 80 डिसमिल है एवं आवेदक के पास परिवार के भरण–पोषण हेतु पर्याप्त भूमि बच जाता है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना कुमारडुँगी के निवासी है तथा दोनो 'गोंड' जाति के हैं, जो अनुसूचित

जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आता है।

अतः आवेदक के आवेदन, अंचल अधिकारी, कुमारडुंगी एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदित भूमि मौजा– छोटालुन्ती, थाना संख्या– 332, खाता संख्या– 134, प्लॉट संख्या– 1430, कुल रकवा– 1 एकड़ 15 डिसमिल क्रेता बिनोद नायक, पिता– बिपिन नायक, ग्राम– छोटालुन्ती, पो०ओ०– अंधारी, थाना– कुमारडुंगी, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जाति 'गोंड' (अनुसूचित जनजाति) के अन्तर्गत आते हैं, को आवेदित राशि अथवा सरकार द्वारा निर्धारित राशि जो अधिक हो पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46(1) प्रोभिजो 'ए' के अन्तर्गत बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

29/9/2020

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।